प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.11.2024

थाना मसूरी पुलिस द्वारा थाना मसूरी से वांछित लुटेरा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार

दिनांक 9 नवंबर 2024 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा कुशालिया डीएमई अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान कुशलिया की तरफ से एक बाइक सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया बाइक सवार को पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया बाइक सवार अपनी बाइक पीछे मोड़कर भागने लगा। बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण बाइक सवार ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई में बाइक सवार व्यक्ति के पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बिलाल पुत्र हनीफ निवासी नेकपुर थाना मुरादनगर बताया। गिरफ्तार बिलाल उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता-

बिलाल पुत्र हनीफ निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

एक तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस एक खोखा कारतूस
एक बाइक सुजुकी जिक्सर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

बिलाल पर लूट चोरी गैंगस्टर के करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है व थाना मसूरी से वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी व स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी व स्नैचिंग किए हुए 06 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 09.11.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी व स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. सुमित कुमार पुत्र श्री राधेश्याम निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना जिन्जाना जनपद शामली उम्र 20 वर्ष, 2. अजय कुमार पुत्र श्री नारायण निवासी ग्राम खोक्सा थाना झिन्झाना जनपद शामली उम्र 19 वर्ष व 3. आमिर उर्फ अमित पुत्र श्री नफीस निवासी म0न0 304 गली न0 05 टेलीफोन एक्सचैंज के पास शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को तुलसी निकेतन के पास ऑटो मार्केट से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी व स्नैचिंग किए हुए 06 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोबाइल फोन हम लोगों द्वारा राह चलते लोगों से छीने थे तथा चोरी व स्नैचिंग के मोबाइल फोन बेचकर अपना खर्चा चलाते है। आज इन मोबाइल फोन को हम राह चलते लोगों को बेचने की फिराक में थे। हम लोग नशा करने के आदी है। अपने नशे की पूर्ति के लिए हम लोग चोरी व स्नैचिंग की घटना कारित करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. सुमित कुमार पुत्र श्री राधेश्याम निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना जिन्जाना जनपद शामली उम्र 20 वर्ष।
2. अजय कुमार पुत्र श्री नारायण निवासी ग्राम खोक्सा थाना झिन्झाना जनपद शामली उम्र 19 वर्ष।
3. आमिर उर्फ अमित पुत्र श्री नफीस निवासी म0न0 304 गली न0 05 टेलीफोन एक्सचैंज के पास शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी व स्नैचिंग किए हुए 06 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त आमिर उर्फ अमित पुत्र नफीस के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी का माल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 10.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त शिवा वर्मा पुत्र इन्द्रजीत वर्मा निवासी हाल किरायेदार ए-89 गली न0-8 मीत नगर थाना ज्योति नगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष को 02 नम्बर बस स्टैण्ड हरियाणा स्वीट्स के पास से थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने अपने मामा सोनू वर्मा पुत्र चमन लाल वर्मा से ली थी जिसे मैं फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहा था। यह मोटरसाइकिल मेरे मामा ने बागपत से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

शिवा वर्मा पुत्र इन्द्रजीत वर्मा निवासी हाल किरायेदार ए-89 गली न0-8 मीत नगर थाना ज्योति नगर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना बागपत जनपद बागपत में वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर ठग/ चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 04 स्प्लिट ए0सी0 (इनडोर व आउटडोर यूनिट), 04 एलईडी टी0वी0 55 इंच व घटना में प्रयुक्त गाड़ी अर्टिगा बरामद।

दिनांक 06.11.24 को वादी श्री तरुण सिंघल पुत्र सुभाषचंद सिंघल निवासी प्रताप विहार विजय नगर गाजियाबाद, द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि अभि0 द्वारा अपने आप को विजयनगर एस0एच0ओ बताते हुए मेरे से दो स्प्लिट ए0सी0 अपने आवास एसजी ग्राण्ड सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन पर मंगवाये तथा ऑटो चालक से दुकान पर ए0सी0 उतारकर सोसायटी के गेट पर 67,000/- रुपये देने की बात बोलकर उक्त दोनो ए0सी0 को गायब कर दिया, उक्त संबंध में थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 08/11/24 को वादी श्री समीर निवासी खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद ने सूचना दी कि अभि0 द्वारा अपने आप को चौकी मोरटा से होना बताया और 55 इंच के 02 टीवी अपने आवास एसजी ग्राण्ड सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन पर मंगवाये तथा रिक्शा चालक से दो लड़के भेजकर 55 इंच के टीवी लेकर पैसे मोरटा चौकी से लेने को बोलकर टीवी लेकर गायब हो गये, उक्त संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 10-11-24 को मुखबिर की सूचना पर रेड एप्पल सोसायटी के खंडहर के पास से, 04 शातिर चोरो को मय चोरी के माल 04 स्प्लिट ए0सी0 (इनडोर व आउटडोर युनिट) , 04 एलईडी टी0वी0 व घटना में प्रयुक्त अर्टिगा गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया, अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण मनीष व जसवीर उर्फ मोनू ने एक स्वर मे बताया कि साहब पहले हम ऑनलाइन ए0सी0 व ELECTRONICS की दुकान के बाहर जाकर उनके बोर्ड पर लगे नम्बर को नोट कर लेते है, उसके बाद जसवीर उर्फ मोनू उस नम्बर पर फोन करके किसी भी पुलिस अधिकारी के नाम से फोन कर दुकानदार को सामान खरीदने की बात करता है तथा उसको हम राज नगर एक्सटेंशन व ऐसी जगह जहां पर सीसीटीवी कैमरे न हो और भीड़ भाड़ कम हो, ऐसी जगह पर किसी भी सोसायटी का नाम पता बता देते है तथा दुकानदार को बताया जाता है कि आप सामान भेज दो पैसे यहीं पर मिल जायेगें दुकानदार हमारी बात पर विश्वास कर सामान भेज देता है तथा सामान हम अपनी पहले से चुनी हुई जगह पर उतारवा लेते है उसके बाद उसको जसवीर उर्फ मोनू बोलता है कि अपने ड्राइवर को बोलो की वह सोससायटी के बाहर आकर पैसे ले ले जब वह सामान लाने वाला व्यक्ति पैसे लेने के लिए जाता है तो हम लोग उस सामान को चोरी कर लेते है और गायब हो जाते है हमने पहले भी कई लोगो के साथ इस तरह से ठगी की है।

अभि0गण का नाम व पता –

(1) मनीष कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी 37/152 सदन नगर आगरा हाल पता एस 5/245 ईस्ट स्कूल ब्लॉक मण्डावली दिल्ली उम्र 35 वर्ष

(2) जसवीर सिंह उर्फ मोनू पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ई 447 गली न0 6 वेस्ट विनोद नगर पूर्वी दिल्ली उम्र 40 वर्ष

(3) तमीम पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ उम्र करीब 28 वर्ष

(4) दिलशाद पुत्र जमील निवासी एफ 39 गली न0 32 मधुविहार दिल्ली उम्र 35 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभि0 जसवीर सिंह उर्फ मोनू उपरोक्त के विरुद्ध थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली में 01 अभियोग आयुध अधि0 का, थाना मन्डावली दिल्ली में दुष्कर्म संबंधी 01 अभियोग, थाना लाहौरी गेट दिल्ली में धोखाधडी का 01 अभियोग, थाना बालैनी जिला बागपत में धोखाधडी व चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

(1) 02 एलईडी एमआई कम्पनी XIAOMI TV A SERIES 43 इंच

(2) 02 एलईडी सनसूई कम्पनी 55 इंच
(3) 02 स्प्लिट ए0सी0 वोल्टास कम्पनी (इनडोर व आउटडोर) यूनिट
(4) 02 स्प्लिट ए0सी0 गोदरेज कम्पनी (इनडोर व आउटडोर) यूनिट
(5) घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार रजि0 न0 UP-16-DF-0231

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 12.10.2024 को लेफ्टी उर्फ विशाल पुत्र वंशीलाल, मुकेश पुत्र सुरेश व 02 बाल अपचारियों द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन कर भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 21.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया था जिनके पास से छीना गया मोबाइल फोन बरामद हुआ।

आज दिनांक 10.11.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चोकिंग के दौरान उपरोक्त अभियोग में वांछित लूट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त लेफ्टी उर्फ विशाल पुत्र बंसीलाल निवासी सोम बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम नवादा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज को गढी कटैया चौकी क्षेत्र पुस्ता थाना ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसे एमवी एक्ट की धारा 207 के अन्तर्गत सीज किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने अपने साथी मुकेश व 02 बाल अपचारियों के साथ मिलकर दिनांक 12.10.2024 को रात्रि में अरबन हॉस्पिटल के पास मंगल बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति से मोबाइल लूट लिया था। जिसे मैं अपने पास रख कर उसमें अपना सिम डालकर प्रयोग कर रहा था। साथी लोग लूटे गये मोबाइल के रूपये मांगने लगे तो मैने वह मोबाइल अपने बाल अपचारी साथी को दे दिया था। दिनांक 21.10.2024 को मेरे 02 बाल अपचारी साथियों को लूटे गये मोबाइल के साथ पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

लेफ्टी उर्फ विशाल पुत्र बंसीलाल निवासी सोम बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम नवादा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 24 बर्ष।

बरामदगी का विवरण-

बिना नम्बर प्लेट की 01 मोटरसाइकिल (सीज)।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध लूटपाट, छिनैती के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।